तारीख हुक्म	
17/12/25	वकु० उप०। अप्रार्थी सं 1 ने जवाब प्रा० पत्र मय जवाब Counter Claim पेश किया। पत्रा० वास्ते जवाब Counter Claim व जवाब प्रा० पत्र अंतिम अवसर हेतु दि० 28/1/26 को पेश हो।
28/1/26	वकु० उप०। जवाब मय Counter Claim पेश किया। पत्रा० वास्ते बहस दि० 11/3/26 को पेश हो।
11/3/26	वकुलाए उपस्थित। वकील प्रार्थी ने काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस का निवेदन करने पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की कृषि भूमि खाता सं0 नया 373 पुराना 306 खसरा सं0 1379/897 रकबा 0.6475 है0 वाके ग्राम बाजड पर प्रार्थी का गत 30 से 35 वर्षो से प्रार्थी शांति पूर्वक काबिज काश्त रहकर काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज काश्त है किन्तु अप्रार्थी सं0 1 ने मिथ्या तथ्य अंकित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम अंकन(आवंटन) करवा लिया है। जबकि मौका कब्जा काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा है प्रार्थी को कभी बेदखल नही किया गया। अप्रार्थी सं0 1 का कभी कब्जा काश्त मौका वाद विषयक भूमि पर नही रहा है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर वाद विषयक भूमि को खुर्द-बुर्द, बेचान एवं प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कब्जा लेने बाबत प्रयास किये है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा राजस्व न्यायालय तालेडा में भी अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट के तहत वाद सं0 15 दावा 2017 प्रस्तुत किया था। जो खारिज हो चुका है। उक्त प्रकरण प्रार्थी का वाद वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित करता है। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूमि पर कानूनन अधिकार खातेदारी घोषणा करवाये जाने का हित निहित है। प्रार्थी खातेदारी घोषणा एवं अपने शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की भूमि का संरक्षण बनाये रखने हेतु दोराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का प्रमुख कानूनी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निहित है। राजस्व वाद सं0 15 दावा 2017 में वर्णित अभिवचनों से प्रार्थी का कब्जा प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है। इससे प्रार्थी के अभिवचनों की पुष्टि होती है। यदि दोराने वाद आराजियात को खुर्द-बुर्द, स्थानान्तरण एवं प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के शांति प्रिये कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। वाद विषयक आराजी को रहन बैचान नही करे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाद वर्णित आराजी बाबत पूर्व में पेश वाद 15 दावा 2017 वादी एवं कालू लाल के विरूद्ध पेश किया था। वादी एवं कालू लाल द्वारा कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था। पूर्व वाद अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज हुआ था। अप्रार्थी की वाद वर्णित कृषि भूमि के समीप प्रार्थी की खातेदारी की भूमि स्थित है। इसलिये आये दिन प्रार्थी अप्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अप्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न करता रहता है। जिसका कि प्रार्थी को कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने कि नियत से दिनांक 10.11.2025 को अप्रार्थी की कृषि भूमि पर पत्थर का कोट चुनने लग गया था और जबरन कब्जा करने की धमकी लगायी। काउन्टर क्लेम टी.आई. प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 10.11.2025 को जब प्रार्थी ने काउन्टर क्लेम टी.आई. में वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा उपयोग उपभोग करने में व्यवधान डालने की धमकी लगायी तत्पश्चात वाद पत्र के सम्मन की प्रति प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ जो आज तक निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम टी.आई. स्वीकार कर प्रार्थी को इस आशय की ताफैसला मूल काउन्टर क्लेम टी.आई. अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी जबरन कब्जा नही करे। काउन्टर क्लेम टी.आई. प्रस्तुतकर्ता को जबरन बेदखल नही करे। उपयोग उपभोग में व्यवधान नही डाले।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी कृषि भूमि खाता सं0 नया 373 पुराना 306 खसरा सं0 1379/897 रकबा 0.6475 है0 वाके ग्राम बाजड पर खातेदारी अधिकार अप्रार्थी एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता को प्रदत्त है किन्तु उक्त आराजी पर काबिज काश्त वर्तमान परिदृश्य में किसका है इसका निस्तारण/निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेज और तनकीवार विवेचन के आधार पर होगा। जिसमें समय लगना सम्भावित है। अतः पक्षकारो के हितो की सुरक्षा एवं पक्षकारो के मध्य शांति व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद वर्णित आराजी कृषि भूमि खाता सं0 नया 373 पुराना 306 खसरा सं0 1379/897 रकबा 0.6475 है0 वाके ग्राम बाजड पर रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।